अरविंद सिंह सांगवान न्यायाधीश के सामने

राज कुमार भाटिया-याचिकाकर्ता

बनाम

केन्द्रीय जांच ब्यूरो-प्रतिवादी

सी आर आर नंबर **2020** का **94**

19 फरवरी 2020

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973—**एस. **173(4)-**भारतीय दंड कोड, **1860—**एस. **120**बी, **417, 420, 467, 468** और **471—**के लिए अनुमति दस्तावेजों की प्रस्तुति **-** विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति प्रस्तुति-सह-रसीद ज्ञापन, जब्ती ज्ञापन, रसीद ज्ञापन होना रिकॉर्ड पर रखा गया क्योंकि ये दस्तावेज़ जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए थे लेकिन अनजाने में, वे धारा **173** सीआरपीसी की प्रस्तुत रिपोर्ट का हिस्सा नहीं थे, **1973** के तहत **-** आयोजित, दस्तावेज में जांच तैयार किए गए लेकिन धारा **173** सीआरपीसी की रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं है, **1973** को धारा **173(5)** सीआरपीसी के संदर्भ में रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है। **1973** **—** इसलिए, दस्तावेजों की प्रस्तुति की अनुमति उचित है।

माननीय सुप्रीम के फैसले के मद्देनजर, यह माना गया कोर्ट आर.एस. पाई के मामले में (सुप्रा), कुएं के बारे में कोई विवाद नहीं है कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जो दस्तावेज जांच में तैयार किये जाते हैं लेकिन नीचे दी गई रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया जा सका धारा 173 सी.आर.पी.सी. के तहत धारा 173(5) सी.आर.पी.सी. के अनुसार रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है।

(पैरा 11)

राज कुमार भाटिया
याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से.

सुमित गोयल, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए.

अरविंद सिंह सांगवान, न्यायाधीश (मौखिक)

(1) इस पुनरीक्षण याचिका में आदेश को रद्द करने की प्रार्थना है दिनांक 20.12.2019 को एफआईआर क्रमांक 16 (RCCHG2016A0016) दिनांक पारित किया गया। 29.07.2016 को धारा 120-बी, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी')। सी.बी.आई./ए.सी.बी., चंडीगढ़, जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई, चंडीगढ़ ने उत्पादन-सह-रसीद की अनुमति दे दी है। ज्ञापन दिनांक 09.05.2016, जब्ती ज्ञापन दिनांक 22.02.2016, रसीद मेमो दिनांक 03.03.2016 और 06.04.2016 को रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ये दस्तावेज़ जांच अधिकारी द्वारा तैयार किए गए थे लेकिन अनजाने में,धारा 173 सी.आर.पी.सी. की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं थे।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि यह एक मामला है नंबर RCCHG2016AD016 को सीबीआई, एसीबी चंडीगढ़ में दर्ज किया गया था, PECHG2016A0001 दिनांक 10.02.2016, के आधार पर दिनांक 29.07.2016 को, दिनांक 18.11.2015 के आदेश के अनुसार सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित किया गया सिविल अपील 2015 का नंबर 13471 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया. सभी पहलुओं पर विस्तृत प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर में उल्लेखित है कि वर्ष 2011 के दौरान राज कुमार भाटिया, एडवोकेट और जतिंदर सिंह बिरगी ने मिलकर मिली भगत की कोई अज्ञात व्यक्ति संपत्ति यानी मकान नंबर 1149, सेक्टर को हड़पने के लिए 8-सी, चंडीगढ़ में जाली दस्तावेज यानी रेंट डीड दिनांक 14.03.2011 तैयार करके मकान नंबर 1149, सेक्टर 8, चंडीगढ़ के संबंध में मीनू वैद और जतिंदर सिंह बिरगी के बीच, बेचने का समझौता दिनांक 16.03.2011 मकान नंबर 1149, सेक्टर 8, चंडीगढ़ के संबंध में श्री जतिंदर सिंह बिरगी के पक्ष में मीनू वैद द्वारा निष्पादित किया गया और एक वसीयत जतिंदर सिंह बिरगी के पक्ष में मीनू वैद द्वारा निष्पादित किया गया था, यह जानते हुए भी कि वे जाली हैं, राज कुमार भाटिया, अधिवक्ता, द्वारा इन्हें धोखा देना और असली का उपयोग करने, के उद्देश्य के लिए उपयोग किया।जैसा ऐसा प्रथम दृष्टया धारा 120-बी, 420, 467, 458 और 471 के तहत श्री राज कुमार भाटिया पुत्र स्व. हंस राज निवासी मकान नंबर 5-बी, सेक्टर 44-ए, चंडीगढ़ और श्री जतिंदर सिंह बिरगी पुत्र श्री. हरबंस सिंह निवासी मकान नंबर 158, सेक्टर 46-ए, चंडीगढ़ और अज्ञात व्यक्ति. के खिलाफ आईपीसी का मामला बनता है।

(3) पूछताछ के मुख्य परीक्षण को रिकॉर्ड करने के बाद PW-23 के रूप में अधिकारी एम.के.तिवारी,धारा 173(5) सी.आर.पी.सी. के तहत एक आवेदन दायर किया गया था उपरोक्त दस्तावेजों को वैसे ही प्रस्तुत करने के लिए जैसे ये थे अभियुक्तों द्वारा तैयार किये गये जो रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किये गये धारा 173 सी.आर.पी.सी. सीबीआई ने अनुदान देने के लिए एक आवेदन दायर किया इन दस्तावेज़ों को एक स्तर पर रिकॉर्ड पर साबित करने की अनुमति एम.के. के परीक्षा-प्रमुख तिवारी को आंशिक रूप से रिकॉर्ड किया गया था।

(4) याचिकाकर्ता ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि ये दस्तावेज़ धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत दर्ज किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं और, इसलिए, इन दस्तावेज़ों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 20.12.2019 के आदेश के तहत उक्त आवेदन की अनुमति दी। उक्त आदेश का ऑपरेटिव भाग निम्नानुसार पढ़ता है :-

> “5. सीबीआई ने यह कहते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया है ऊपर उल्लिखित कुछ मेमो इस दौरान तैयार किए गए थे जांच और उसे दायर किया जाना चाहिए था चालान के साथ लेकिन अनजाने में इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया जांच अधिकारी द्वारा और वह उन्हें संलग्न करने में विफल रहे कोर्ट में आरोप पत्र के साथ दस्तावेज दाखिल किया गया। इन दस्तावेज़ों के अवलोकन से पता चलता है कि ये सरल हैं, उत्पादन मेमो और जब्ती मेमो जो निश्चित हैं जांच कर दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया गया है एजेंसी जो पहले से ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है अनजाने में वह जब्ती मेमो और रसीद दाखिल करने में विफल रहा। आरोप पत्र के साथ ज्ञापन. कोर्ट आश्वस्त नहीं है आरोपी राज कुमार भाटिया की दलीलों के साथ श्री का बयान एम.के. तिवारी धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया इन जब्ती ज्ञापन में रसीद मेमो का स्पष्ट उल्लेख है. अभियोग दाखिल करते समय ऐसा प्रतीत होता है शीट, आईओ अनजाने में इन दस्तावेजों से चूक गए। यह है यह

उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू अर्थात श्री. एम.के. तिवारी मुख्य रूप से आंशिक रूप से जांच की गई है और आगे की जांच- इस गवाह की मुख्य जांच और जिरह अभी बाकी है आयोजित किया गया और इसलिए, आरोपी के पास इस गवाह से, इस दस्तावेज़ के संबंध में. जिरह करने का पर्याप्त अवसर होगा।

6. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करने के बाद साथ ही न्यायालय के रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्री को इन दस्तावेज़ों को रिकॉर्ड पर लेना उचित समझे और तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और सी.बी.आई इन दस्तावेज़ों को दाखिल करने की अनुमति है।"

(5) याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित है तर्क दिया कि धारा 173 (5) के तहत सीबीआई द्वारा आवेदन दायर किया गया था। सी.आर.पी.सी. इस आधार पर कि ये दस्तावेज़ निरीक्षण के कारण अनजाने में प्रस्तुत नहीं किये जा सके और जब धारा 173 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट दायर की गई. आगे तर्क दिया गया कि धारा सीआरपीसी की 173(5) के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनके प्रस्तुति की अनुमति प्रदान करने हेतु दस्तावेज़ों को आगे बढ़ाने के लिए न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया मामले की जांच करें और केवल ऐसी स्थिति में ही अनुमति हो सकती है।

(6) याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उसने इसका विरोध किया उत्तर दाखिल करके आवेदन करें, इस आधार पर कि दस्तावेज संलग्न हैं अनुलग्नक डी 122 के रूप में, पृष्ठ 1-182 पर एक छेड़छाड़ है और दस्तावेज़ अनुलग्नक डी 123 पर, तारीख और पर एक छेड़छाड़ है इसलिए, आवेदन जांच अधिकारी हरजीत सिंह द्वारा तैयार किया गया है को अनुमति नहीं दी जा सकती. याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया है कि, वास्तव में, यह आवेदन केवल कमी को पूरा करने के लिए दायर किया गया है, जो कि अनुमति योग्य नहीं है.

(7) याचिका कर्ता ने PW-23 एम.के.तिवारी के बयान का उल्लेख किया है। को कहना होगा कि इस गवाह ने कहा है कि पूछताछ के दौरान वह कभी हरजीत सिंह से नहीं जुड़े और आगे का जिक्र किया गया PW-24 का बयान - हरजीत सिंह, जिसने कहा है कि पहले वह चंडीगढ़ पुलिस में तैनात थे और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पूछताछ की गई थी लेकिन वह उस पूछताछ में शामिल नहीं थे लेकिन कर सकते हैं केवल दस्तावेज़ पर उसके हस्ताक्षरों की पहचान कर सकता है। याचिकाकर्ता ने इस प्रकार तर्क दिया है वास्तव में, PW-24 हरजीत सिंह एक इच्छुक गवाह है जो कि राज बीरिंदर सिंह चहल एडवोकेट के रिश्तेदार है।

(8) उत्तर में प्रतिवादी-सीबीआई के वकील ने विरोध किया याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर प्रस्तुतियाँ की गईं कि 03 दस्तावेज़ यानी जब्ती ज्ञापन पहले से ही Ex.PW23/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, रसीद ज्ञापन के Ex.PW23/6 और एक अन्य रसीद ज्ञापन Ex.PW23/7 PW-23 प्रमुख - एम.के. तिवारी रिकॉर्डिंग के मुख्य परीक्षा के रूप में प्रस्तुत की गईं जो आंशिक रूप से थे जांच की थी. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदन इन दस्तावेज़ों को अतिरिक्त के रूप में दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर रखने के लिए ही इसे स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि 03 दस्तावेज़ पहले ही प्रदर्शित किए जा चुके हैं चूंकि ये सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा नहीं थे, वहां स्वीकार्यता साबित करने के लिए आवेदन दायर किया गया था अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करना, जिसकी उचित अनुमति निचली अदालत दी गई है।

(9) सीबीआई के वकील ने आगे कहा है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही इन दस्तावेजों पर PW-23 से आंशिक रूप से जिरह कर ली है, याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाएगा।

(10) सीबीआई के वकील ने दिनांक फैसले का हवाला दिया है 03.04.2002 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "सीबीआई बनाम आर.एस.राय और एक अन्य'" मामले में पारित किया गया। **2000** की सिविल अपील संख्या **1045** में पारित हुआ जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि जो अतिरिक्त दस्तावेज़ हैं जांच के दौरान एकत्र किया जाता है लेकिन धारा 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया जाता है पर बाद में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जा सकता है। उक्त निर्णय का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है :-

> “....उपरोक्त उपधाराओं से, यह स्पष्ट है कि आम तौर पर, जांच अधिकारी को सब कुछ प्रस्तुत करना आवश्यक होता है आरोप-पत्र प्रस्तुत करते समय प्रासंगिक दस्तावेज.486 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2020(1) साथ ही, चूँकि कोई विशिष्ट निषेध नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता यह माना गया कि बाद में अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। अगर प्रस्तुत न करने में कोई गलती हो जाए रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय प्रासंगिक दस्तावेज या आरोप-पत्र, यह जांच अधिकारी के लिए हमेशा खुला रहता है न्यायालय की अनुमति से इसे प्रस्तुत करें। हमारे विचार में, अभियोजन के प्रारंभिक चरण और संदर्भ पर विचार करते हुए जिसमें पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना आवश्यक है जिस पर सभी दस्तावेज़ या उसके प्रासंगिक उद्धरण अभियोजन पक्ष भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, उपधारा में 'करेगा' शब्द का प्रयोग किया गया है (5) की व्याख्या अनिवार्य के रूप में नहीं, बल्कि निर्देशिका के रूप में की जा सकती है। आम तौर पर, जांच के दौरान दस्तावेज़ एकत्र किए जाते हैं जिस पर अभियोजन भरोसा करना चाहता है, वह होना आवश्यक है मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया है, लेकिन यदि कुछ चूक हो गई है इसका मतलब यह नहीं होगा कि शेष दस्तावेज़ बाद में प्रस्तुत नहीं हो सकते। धारा के अंतर्गत अनुरूप प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 173(4) पर विचार किया गया नारायण राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में इस न्यायालय द्वारा [(1958) एससीआर 283 पर 293] और यह माना गया कि शब्द 'करेगा' धारा 173 की उपधारा 4 और उपधारा 3 में घटित होता है धारा 207ए अनिवार्य नहीं है बल्कि केवल निर्देशिका है। इसके अलावा, धारा 173 की उपधारा (8) की योजना भी इसे बनाती है यह पूरी तरह स्पष्ट है कि आरोप पत्र समर्पित होने के बाद भी यदि आगे की जांच की आवश्यकता होती है, तो उसे रोका नहीं जाएगा। यदि आगे जांच को रोका नहीं गया है तो न करने का कोई सवाल ही नहीं है अभियोजन पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेज़ पेश करने की अनुमति देना जो जांच से पहले या बाद में एकत्र किए गए थे। में ऐसे मामलों में आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता। इसलिए, विशेष न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को कायम नहीं किया जा सकता.
>
> परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और निर्णय सुनाया जाता है और विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है। अतिरिक्त प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा आवेदन दायर किया गया

दस्तावेज़ की अनुमति है। विशेष अदालत कानून के मुताबिक मामला आगे बढ़ाये।

(11) पक्षों के वकील को सुनने के बाद, ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का मुझे कोई आधार नहीं मिला। इस दृष्टिकोण से आर.एस.पाई केस (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का मामला, कानून के सुस्थापित सिद्धांत के बारे में कोई विवाद नहीं है। जांच के दौरान जो दस्तावेज तैयार तो हो गए लेकिन सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं हो सके वह दस्तावेज धारा 173(5) सीआरपीसी के संदर्भ में रिकॉर्ड में रखा जा सकता है

(12) माना कि 04 दस्तावेजों में से 03 पहले ही PW-23 एम.के. तिवारी के मुख्य परीक्षा में प्रदर्शित हो चुके हैं - और याचिकाकर्ता ने इन दस्तावेजों के संदर्भ में उनसे जिरह भी की है, याचिकाकर्ता के अपने मामले के अनुसार, इसलिए, दिनांक 20.12.2019 के आक्षेपित आदेश में अवैधता या दुर्बलता पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

(13) हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता को PW-23 एम.के. तिवारी को आगे जिरह करने की अनुमति दी जाएगी। यदि वह उपरोक्त 04 दस्तावेजों पर उनकी आगे की जिरह चाहता है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने अनुमति दे दी है।

ऋतंभरा ऋषि

अस्वीकरण -

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंगरेजी संस्करन प्रमानिक होगा और निष्पादन कार्यवयन के उद्देशय के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रवीण गुप्ता